

एम/एस स्वान मिल्स लिमिटेड

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

26 जुलाई 2007

(डॉ.अरिजीत पासायत और डी0 के0 जैन जे0 जे0)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944:

कर विवाद समाधान योजना, 1998-वित्त अधिनियम, 1998-धारा 89, 95(आई) (ग)-आयकर अधिनियम 1961 धारा 246 और 264-आयुक्त (अपील) द्वारा मांग नोटिस की पुष्टि की गई- न्यायाधिकरण में अपील इस बीच निर्धारिती द्वारा केवीएसएस घोषणा दायर की खारिज, निर्धारिती द्वारा आयुक्त को अपील परिसीमा अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत की- गई थी और उक्त विलंब को माफ नहीं किया गया था इसलिए मूल्यांकन अंतिम हो गया था इसके खिलाफ अपील में चुनौती-निर्धारित न्यायाधिकरण ने माना था कि अपील समय के भीतर थी इसलिए अपील को लंबित माना था-केवीएसएस सभी लंबित मामलों पर लागू था, इसलिए केवीएसएस घोषणा को खारिज करने के आदेश को अपास्त किया है।

कर विवाद समाधान योजना, 1998-उद्देश्य, विचार किया गया।

अपीलार्थी को अंतर शुल्क (विभेदक) की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। सहायक आयुक्त ने आदेश दिनांकित 12.11.1997 के द्वारा मांग नोटिस एवं मय ब्याज की पुष्टि की। उक्त आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने दिनांक 02.09.1998 आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त (अपील) मांग नोटिसों की पुष्टि की।

वर्ष 1998 में, केवीएसएस योजना शुरू की गई थी जिसमें विवादित बकाया कर का 50 प्रतिशत भुगतान करके बकाया कर का निपटान करने का प्रावधान था। अपीलार्थी ने धारा 89 वित्त अधिनियम 1998 के अंतर्गत दिनांक 31.12.1998 को घोषणा पत्र प्रस्तुत कर केवीएसएस स्कीम का लाभ प्राप्त करना चाहा। इस घोषणा को दिनांक 25.2.1999 पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपील दायर करने के लिए परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद अपीलकर्ता द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई थी और अपील दायर करने में देरी को आयुक्त (अपील) द्वारा माफ नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने सी.ई. जी.ए.टी. के समक्ष अपील प्रस्तुत की। सीईजीएटी ने दिनांक 29.11.1999 को यह निर्धारित किया कि आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत अपील समय अवधि में थी और उक्त प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुए नये सिरे से निस्तारित करने का आदेश दिया।

आयुक्त (अपील) ने दिनांक 29.6.2001 को आदेश दिनांकित

12.11.1997 को बरकरार रखा। अपीलार्थी ने दिनांक 02.04.2001 को आयुक्त अपील के समक्ष पूर्व आदेश दिनांकित 25.02.1999 पर पुनर्विचार करने हेतु अपील प्रस्तुत की जिसमें घोषणा अंतर्गत धारा 89 वित्त अधिनियम केवीएसएस स्कीम का लाभ दिये जाने को खारिज किया गया था।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक ने दिनांक 18.1.2002 को यह सूचित किया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 पर पुनर्विचार किया गया एवं जबकि केवीएसएस स्कीम अब अस्तित्व में नहीं है, उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अपीलकर्ता ने मुख्य आयुक्त को दिनांक 05.02.2002 को एक आवेदन प्रस्तुत किया कि आयुक्त को अपीलकर्ता को केवीएसएस योजना का लाभ दिये जाने की प्रार्थना पर विचार करने का निर्देश दिया जाये। आयुक्त (अपील) के द्वारा दिनांक 29.06.2001 को अपील अस्वीकार करने के कारण मांग नोटिस की पुष्टि हो गई। इसके पश्चात अपीलकर्ता ने संपूर्ण शुल्क मय जुर्माना के दिनांक 07.10.2004 को जमा करा दी। अधीक्षक ने दिनांक 03.11.2004 को धारा 11 एए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को विलम्ब के कारण ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए कहा। अपीलकर्ता ने विभाग द्वारा

ब्याज हेतु कई बार पत्र लिखे जाने पर भी भुगतान नहीं किया। इसके पश्चात् अपीलकर्ता ने आयुक्त को प्रकरण पर पुनर्विचार हेतु पत्र प्रेषित किया। आयुक्त ने अपीलकर्ता को यह सूचित किया कि केवीएसएस योजना का लाभ नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वह योजना अब अस्तित्व में नहीं है। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 89 वित्त अधिनियम की घोषणा को स्वीकार करने के अनुरोध के साथ रिट याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अपील परिसीमा होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपीलकर्ता केवीएसएस योजना का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है, इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने-

निर्धारित: 1.1 केवीएसएस योजना का उद्देश्य सभी लंबित प्रकरणों को जिनमें अपील रेफरेंस रिवीजन याचिका एण्ड रिट याचिकाओं के रूप में थी, को समाप्त करना था जो कि आयकर अधिनियम/डब्ल्यूटी अधिनियम के अंतर्गत थी, धारा 95 1-सी योजना का प्रावधान उन अपीलों से भिन्न था जो कि धारा 246 रिवीजन अंतर्गत धारा 264 अपील अंतर्गत धारा 260 आदि आयकर अधिनियम एवं उसी के समान डब्ल्यूटी-एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत थी। आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपील रिवीजन एवं रेफरेंस भिन्न थे, हालांकि यह अंतर योजना की धारा 95 1-सी के

प्रावधान से समाप्त कर दिया था। धारा 95 1-सी का उद्देश्य उन अपील रेंफरेंस एवं रिवीजन को समाप्त करना था जो कि आयकर अधिनियम एवं संपदा कर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मंचों एवं विभिन्न चरणों में लंबित थी इसलिए आयकर अधिनियम के तहत एवं स्वेच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत आई अपील एवं रिवीजनों में अभिनिर्धारित न्यायिक निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

1.2. वित्त अधिनियम, 1998 ने एक योजना जिसे कि कर विवाद समाधान योजना कहा जाता था यह एक वसूली की योजना थी। इस योजना के अंतर्गत कर बकाया दिनांक 31.03.1998 को होना था। धारा 87 (एफ) के अंतर्गत “विवादित कर“ को एक निर्धारण वर्ष के संबंध में आई. टी. अधिनियम/धन कर अधिनियम के तहत निर्धारित और देय कुल कर के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन जो घोषणा करने की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया था, जिससे टी.डी.एस., स्व-निर्धारित कर, भुगतान किए गए अग्रिम कर, यदि कोई हो, की कटौती धारा 90 डी.ए. को देय राशि का निर्धारण करना था और उसके लिए उसे बकाया कर के साथ विवादित राशि को भी धारा 87 (एफ) के अंतर्गत निर्धारित करना था। इस प्रकार टी.ए. को बकाया कर, विवादित राशि और प्रत्येक निर्धारित वर्ष के लिए देय राशि का आकलन करना था जिससे कि धारा 90 के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध अपील प्रतिबंधित थी। इस प्रकार निर्धारण घोषणा

प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर किया जाना था और डी.ए. को प्रमाण पत्र जारी करना था। अन्य शब्दों में इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से पूर्व अपीलार्थी भुगतान योग्य कर का भुगतान नहीं कर सकता था इसलिए अपीलार्थी ब्याज अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि उसका दायित्व धारा 90 के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि के निर्धारण के पश्चात उत्पन्न होता है।

2. निर्विवाद रूप से, न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपील समय के भीतर थी, केवीएसएस योजना के लिए अपील को लंबित माना जाना था। उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं था। विनिर्दिष्ट अधिकरण के द्वारा अपीलार्थी की घोषणा को अस्वीकार करने का आदेश रद्द किया जाता है। [Paras 17 and 18] [537-B-C; 539-C-D]

आयकर आयुक्त, राजकोट बनाम शत्रुसैल्या दिग्विजय सिंह जडेजा, (2005), 7 एस. सी. सी. 294, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय: सिविल अपील संख्या 3281/2007

उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 28.04.2006 जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका नंबर 605/2006

एम. एच. पाटिल, श्री नारायण और संदीप नारायण (मेसर्स एस. नारायण एण्ड कंपनी) अपीलार्थी की ओर से।

मोहन परासरन, ए.एस.जी., ए.सुब्बा राव और बी. कृष्ण प्रसाद प्रत्यर्थागण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1 अनुमति दी गई

2. इस अपील में बंबई उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती दी गई। 3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं-

अपीलकर्ता एक कम्पोजिट टेक्सटाइल मिल है जो कि सूती धागा, मानव निर्मित धागा, सूती कपडे और मानव निर्मित कपडे के साथ-साथ अन्य गतिविधियों के प्रसंस्करण एवं निर्माण में लगी है। अक्टूबर, 1994 से फरवरी 1997 तक की अवधि के लिए अपीलकर्ता को 14 करोड रुपये के कारण बताओ नोटिस अंतर शुल्क राशि की वसूली हेतु दिये गये जो कि 50 लाख रुपये के थे। उक्त कारण बताओ नोटिस पर केन्द्रीय सहायक आयुक्त मुम्बई द्वितीय के द्वारा आदेश संख्या 781/398/97 से 794/411/97 दिनांक 12.09.1997 को निर्णय लिया गया और मांग नोटिस के साथ ब्याज की भी पुष्टि की गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक

आयुक्त ने 5,000/-रूपये का जुर्माना गलत गणना के लिए अधिरोपित किया एवं रेंज अधीक्षक को आंकणों को सत्यापित कर नई मांग कायम करने का निर्देश दिया। रेंज अधीक्षक ने पुनः कार्य करते हुए शुल्क की राशि 9,40,753/-रूपये निर्धारित की और दिनांक 18.05.1998 को मांग नोटिस जारी किया जिसके अनुसार अपीलार्थी को उक्त राशि के साथ-साथ जुर्माने की 5 हजार रुपये की राशि भी भुगतान करने की आवश्यकता बतायी।

सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आदेश दिनांकित 12.11.1997 एवं रेंज अधीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.05.1998 से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष दिनांक 02.09.1998 को स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा 28 दिसंबर, 1998 के आदेश में अपीलकर्ता को संपूर्ण राशि एवं जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा गया।

वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 1998, के द्वारा कर विवाद समाधान योजना 1998 (संक्षेप में, केवीएसएस) आई। उक्त योजना में बकाया कर के निस्तारण हेतु विवादित बकाया कर की 50 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान था। केवीएसएस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क



आयुक्त को निर्देशित प्राधिकरण नियुक्त किया गया था। यह योजना 1 सितम्बर 1998 से 31 जनवरी 1999 तक कार्यशील रही। अपीलकर्ता ने वित्त अधिनियम, 1998 की धारा 89 के तहत दिनांक 31 दिसंबर, 1998 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष घोषणा प्रस्तुत की।

अपीलकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त घोषणा को निर्देशित प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 25.02.1999 के आदेश से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के समक्ष अपील परिसीमा समाप्ति के पश्चात दायर की गई थी एवं अपील दायर करने में हुई देरी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा माफ नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा आदेश दिनांक 25.02.1999 से व्यथित होकर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपील अधिकरण, पश्चिम क्षेत्रिय पीठ, मुंबई (संक्षेप में, अधिकरण)।

4. अधिकरण ने अपने आदेश दिनांकित 29 नवंबर, 1999 में यह निर्धारित किया कि अपीलकर्ता द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष जो अपील की गई थी वह परिसीमा के भीतर थी और तदनुसार, आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त कर दिया और प्रकरण को उसके अनुसार नए सिरे से निस्तारित करने के लिए वापस भेज दिया।

5. आयुक्त अपील ने रिमांड के पश्चात आदेश दिनांकित 29.06.2001 के द्वारा मूल आदेश दिनांकित 12 नवम्बर 1997 के आदेश को बरकरार रखा।

6. अधिकरण द्वारा 29 नवंबर, 1999 को यह निर्धारित करते हुए कि आयुक्त (अपील) के समक्ष की गई अपील परिसीमा के भीतर थी, अपीलार्थी ने निर्देशित प्राधिकरण के समक्ष 24 अप्रैल 2001 को पूर्व आदेश दिनांकित 25 फरवरी 1999 पर पुनर्विचार करने एवं 28 जनवरी 1999 को केवीएसएस योजना के अंतर्गत धारा 89 का लाभ प्राप्त करने हेतु आया।

7. अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रेंज II ने 18 जनवरी 2002 को अपीलार्थी को सूचित किया कि केवीएसएस योजना की धारा 89 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मुख्य आयुक्त कार्यालय, मुम्बई के द्वारा पुनपरीक्षण किया गया एवं केवीएसएस जो कि अस्तित्व में नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

8. इसके बाद अपीलकर्ता ने दिनांक 5 फरवरी, 2002 को एक आवेदन मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया कि आयुक्त को अपीलकर्ता की प्रार्थना पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

9. मूल आदेश दिनांक 12 नवंबर 1997-18 मई 1998 के अनुसार आयुक्त अपील द्वारा अपीलार्थी की अपील को दिनांक 29 जून 2001 को खारिज करने पर अंतिम निर्णय प्राप्त हुआ था, आदेश को लागू किया गया और अपीलकर्ता ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 को संपूर्ण शुल्क और जुर्माना जमा करा दिया।

10. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक कार्यालय ने पत्र दिनांकित 3 नवंबर, 2004 के द्वारा अपीलकर्ता को धारा 11 ए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अनुसार ब्याज की राशि 11,58,647/- रुपये विलम्ब से भुगतान के लिए अदा करने को कहा। इसके पश्चात पत्र दिनांकित 22 नवंबर 2004 के द्वारा अपीलकर्ता को ब्याज की राशि 11,58,647/-रुपये चुकाने के लिए कहा गया जिसमें व्यतीक्रम करने पर सरकार बकाये की वसूली धारा 142 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत करेगी।

11. बार-बार पत्र लिखने के बावजूद जब अपीलार्थी ब्याज राशि रुपये 11,58,647/- का भुगतान करने में विफल रहा, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने 29 सितंबर, 2005 के पत्र के माध्यम से फिर से अपीलार्थी से ब्याज (सरकारी बकाया) का तुरंत भुगतान करने को कहा। इसके बाद अपीलार्थी ने 10 अक्टूबर, 2005 को आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को एक पत्र भेजा कि मामले पर पुनर्विचार करें।

12. आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने 19 अक्टूबर 2005 के पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी को सूचित किया कि केवीएसएस योजना का लाभ उसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह योजना अब अस्तित्व में नहीं है। इसके पश्चात अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट अधिकरण द्वारा पारित 25 फरवरी, 1999 के आदेश को चुनौती दी। इसमें अपीलार्थी ने इस आशय की प्रार्थना की कि प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाये कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा दिनांकित 31 दिसम्बर 1998 जो कि अंतर्गत धारा 89 वित्त अधिनियम 1998, केवीएसएस योजना के संबंध में, को स्वीकार करें एवं प्रत्यर्थीगण को ब्याज की राशि के अंतिम मांग पत्र दिनांकित 7 दिसम्बर 2005 के अनुसार 11,58,647/-रुपये को वसूली से रोका जाये।

13. केवीएसएस के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि अपील परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की गई है और देरी को माफ नहीं किया गया है इसलिए अपीलार्थी केवीएसएस योजना का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

14. उच्च न्यायालय के अनुसार महत्वपूर्ण शब्द “लंबित” था और, इसलिए, आयकर आयुक्त, राजकोट बनाम मामले में निर्णय शत्रुसैल्या

दिग्विजयसिंह जडेजा, (2005), 7 एस. सी. सी. 294 में अपीलार्थी द्वारा सहारा लिया गया लेकिन वह लागू नहीं था।

15. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विनिर्दिष्ट अधिकरण ने इस आधार पर केवीएसएस योजना के तहत की गई घोषणा को अस्वीकार करने में गलती की कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 2.9.1998 पर आयुक्त (अपील) के समक्ष की गई अपील परिसीमा से बाधित थी इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी अपील केवीएसएस योजना की धारा 95 (II) (सी) के तहत लंबित थी। अपील दिनांकित 02 सितम्बर 1998 जो कि मूल आदेश दिनांकित 12 नवम्बर 1997/15 मई 1998 के संबंध में थी वह परिसीमा के भीतर थी और यही अंततः अधिकरण के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया। इसलिए, विनिर्दिष्ट अधिकरण को इस मामले पर विचार करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि अपीलार्थी शांत रहा और विनिर्दिष्ट अधिकरण के आदेश दिनांकित 25 फरवरी 1999 को चुनौती देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा की गई केवीएसएस योजना की घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25 फरवरी, 1999 के खिलाफ अपील दायर की, जिसे परिसीमा अधिनियम से बाधित होने के आधार पर अधिकरण ने खारिज कर दिया। आदेश

दिनांकित 29 नवंबर, 1999 को अधिकरण ने अपील को स्वीकार करते हुए आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया एवं प्रकरण को आयुक्त (अपील) को भेज दिया।

16. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थागण की ओर से, ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

17. निर्विवाद रूप से, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपील समय सीमा के भीतर थी। इस प्रकार केवीएसएस योजना के उद्देश्य से अपील को लंबित होना माना था। शत्रुसैल्य के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“10. मूल बिंदु जिस पर हमें इस मामले में विचार करने की आवश्यकता है वह “लंबित“ शब्द है जो कि धारा 95 (I) (ग) उक्त योजना का है।

11. इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा यह प्रस्ताव देना था कि मुकदमेबाजी में लंबित बकाया कर के प्रकरणों को पर्याप्त छूट देकर निस्तारित किया जाये। इसमें यह प्रावधान था कि बकाया कर को निस्तारित किया जा सकता है उसकी घोषणा द्वारा एवं निर्धारित कर का भुगतान करके और इसमें दंड एवं अभियोजन से उनमुक्ति का लाभ दिया गया। कई मामलों में,

सरकार ने पाया कि काफी संख्या में प्रकरण वसूली की स्टेज पर लंबित थे और इसलिए सरकार इस योजना के साथ आई जो कि जप्त परिसंपत्तियों को मुक्त करने एवं बकाया कर को वसूलने में सक्षम थी।

12. हमारे विचार में, यह योजना वास्तव में एक महत्वपूर्ण वसूली की योजना थी, हालांकि इसे “मुकदमेबाजी निस्तारण योजना“ के रूप में नामित किया गया था और जो कि पूर्व की स्वेच्छिक घोषणा योजना के समान नहीं थी। उक्त योजना अपने आप में पूर्ण संहिताबद्ध थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न मंचों के समक्ष आईटी एक्ट/डब्ल्यूटी एक्ट के अंतर्गत लंबित अपील, रेफरेंस, रिट याचिका को समाप्त करना था। उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें योजना की धारा 95 (1) (स) का परीक्षण करना है जो कि आयकर अधिनियम की अपील अंतर्गत धारा 246, रिवीजन अंतर्गत धारा 264, अपील अंतर्गत धारा 260-ए आदि एवं डब्ल्यूटी एक्ट के इस प्रकार के प्रावधानों से भिन्न है। हालांकि, उक्त भिन्नताओं को समाप्त कर दिया गया है और अपील, रिवीजन, एवं रेफरेंस को योजना की धारा 95(1) (स) के अंतर्गत रखा गया है। अपीलों, रिवजनों एवं रेफरेंसों को धारा 95 (1) (स) के अंतर्गत रखे जाने का उद्देश्य यह था कि

आयकर अधिनियम एवं डब्ल्यूटी एक्ट के अंतर्गत विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित मुकदमों को समाप्त किया जाए इसलिए आईटी एक्ट एवं स्वेच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत अपील एवं रिवीजन के निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं होंगे।

13. एक और पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। वित्त (2) अधिनियम, 1998 के द्वारा कर विवाद समाधान योजना, 1998 नामक एक योजना शुरू की गई। यह एक वसूली योजना थी। इस योजना के अंतर्गत बकाया कर का निर्धारण दिनांक 31.03.1998 को होना था। धारा 87 (एफ) के तहत, “विवादित कर” आईटी एक्ट के तहत निर्धारित कर और देय कर के रूप में परिभाषित किया गया था जो कि एक निर्धारण वर्ष के संबंध में था लेकिन जो घोषणा करने की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया था, जिससे धारा 90 के तहत टीडीएस, स्व-निर्धारित कर, भुगतान किए गए अग्रिम कर, यदि कोई हो, की कटौती की जानी थी, डीए को देय राशि का निर्धारण करना था और इस उद्देश्य के लिए, उसे धारा 87 (एफ) के तहत बकाया कर के साथ-साथ विवादित राशि का निर्धारण करना था। इस प्रकार, डी. ए. को बकाया कर, विवादित राशि और निर्धारण के प्रत्येक वर्ष के लिए देय राशि का आकलन करना था, अपील धारा 90 के



आदेश के विरुद्ध (धारा 92 देखें) वर्जित थी। इस तरह का निर्धारण घोषणा की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना था और उसके आधार पर डी. ए. को एक प्रमाण पत्र जारी करना था। अन्य शब्दों में, पूर्व-वर्णित प्रक्रिया के पूरा होने तक, अपीलार्थी कर की राशि का भुगतान नहीं कर सकता था और इसलिए, अपीलार्थी ब्याज अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं था क्योंकि धारा 90 के तहत देय राशि का निर्धारण होने के पश्चात ही उसका उत्तरदायित्व उत्पन्न होता था। वर्तमान मामले में उक्त प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है करों की वसूली भूमि की विक्रय से प्राप्त कर ली गई है, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार डी.ए. के द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसरण में राशि का भुगतान हो गया है इसलिए हम प्रकरण को फिर से नहीं खोलना चाहते।

14. डॉ. रेणुका दत्ता के मामले में इस न्यायालय ने धारा 95 (1) (स) की व्याख्या की एवं निर्णय दिया कि यदि योजना की धारा 88 के तहत घोषणा दायर करने की तारीख को अपील या रिवाजिन लंबित है, तो डी. ए. को यह अभिनिर्धारित नहीं करना है कि अपील, निष्फल एवं अप्रभावी है जैसा कि उसने किया है।

15. राजा कुलकर्णी बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जब कोई धारा किसी अपील के लंबित होने पर विचार करती है, तो उसके आवेदन के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि एक अपील लंबित होनी चाहिए और ऐसे मामले में यह योग्यता पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह वैध या सक्षम होनी चाहिए। क्या कोई अपील वैध है या सक्षम है, यह पूरी तरह से उस अपीलीय न्यायालय के लिए एक प्रश्न है जिसके समक्ष अपील निर्णय करने के लिए प्रस्तुत की गई है और ऐसा निर्धारण तभी संभव है जब अपील सुनी जाती है लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी पक्ष को अपील प्रस्तुत करने से रोकती हो जो कि अंततः असक्षम पाई गई। जैसा कि जब इसे परिसीमा द्वारा वर्जित माना गया। केवल इस तथ्य से कि एक अपील को किसी भी आधार पर अपोष्णीय माना जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं थी।

16. इसी प्रकार इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि जो कि तिरुपति बालाजी डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (2004) 5 एस.सी.सी. 1 के मामले में निर्धारित की गई है कि

एक अपील अनियमित एवं असक्षम होने के बावजूद उक्त अपील को बंद नहीं करता है।

18. शत्रुसैल्य के मामले (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू होता है। इस मामले में अपील को लंबित माना जाएगा। उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं था। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। विनिर्दिष्ट प्राधिकरण का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा को अस्वीकार किये जाने का आदेश खारिज किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।